

११२  
च

अपीलांत के अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली  
सुनवाई पर ली गई। अपीलांत के अधिवक्ता  
उप० रेसपो० सं० २, ५, ७ के अधिवक्ता उप०।  
अपीलांत अधिवक्ता द्वारा हस्तागत अपील झगे  
नहीं चलाने की हिदायत से विद्रो प्रार्थना-पत्र  
पेश किया। अपीलांत की यह अपील जरिये  
विद्रो खारिज की जाती है। पत्रावली फॉसल  
सुमार लेकर नंबर से कम हो। वाखिल  
दस्तावेज हो। अधीनस्थ न्यायालय का आभिलेख  
भौटाया जाय।

  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

